उ0प्र0 स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के अनुपालन में गठित समिति की दिनांक 10.10.2018 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 10.10.2018 की सांय: 5.30 बजे जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में उ0प्र0 स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के अनुपालन में गठित समिति की कैम्प कार्यालय, सेक्टर–27, नोएडा के सभागार कक्ष में बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें समिति के निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1– जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर (अध्यक्ष) 9717786956 ई–मेल (dmgbn@nic.in)

2– श्री अशोक कुमार, मुख्य कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर(सदस्य), 9457825253, ई–मेल (togbn@nic.in,)

3– डा0 प्रवीण कुमार उपाध्याय, जिला विद्यालय निरीक्षक (सदस्य / सचिव), 9410417523, 9454457272 ई–मेल(diosgbn@gmail.com)

4– श्री विमल कुमार, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गौतमबुद्धनगर, (सदस्य) 9412427660 ई–मेल; (pdgbnagar@yahoo.in)

5– श्री एस0के0 नायर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर–116, ग्रेटर कैलाश पार्ट–1, नई दिल्ली (सदस्य)110048, मो0 9810186337 ई–मेल (nairsk99@gmail.com, nairsk@abacusiegalgroup.net,)

6– श्रीमती कामिनी भसीन प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर–30, नोएडा, (सदस्य) 9818184350, ई–मेल (bhasinkamini@gmail.com)

7– श्री प्रशान्त सिंह, अभिभावक शिक्षक ऐसोसिएशन, एमिटी इण्टरनेशनल स्कूल, नोएडा, (सदस्य) 9654660680, ई–मेल (prashantsingh1505@gmail.com,)

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिये गये कि उ0प्र0 स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के सम्बन्ध में समिति के सदस्यो को अवगत करायें, जिलाधिकारी के निर्देशो के अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जारी शुल्क विनियमन, 2018 में समिति के कार्यो, अधिकारो एवं विद्यालयों द्वारा कितना शुल्क लिया जायेगा एवं अन्य वैकल्पिक क्रियाकलापों की विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करते हुए समिति के दायित्वों की जानकारी भी दी गई–

– प्रत्येक माह में समिति की कम से कम एक बार बैठक होगी तथा आवश्यक समझे जाने पर एक से अधिक बैठके आहूत की जा सकती है।

जिलाधिकारी द्वारा समिति को यह अवगत कराया कि इस अधिनियम के अधीन कोई जॉच करने के प्रयोजनार्थ जिला शुल्क नियामक समिति के पास किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908(अधिनियम संख्या 5 सन, 1908)के अधीन निम्नलिखित मामलों का निस्तारण करने के सम्बंध में दीवानी न्यायालय और अपीलीय न्यायालय की शक्तियां होगी, अर्थात,

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थिति को प्रवर्तित करना तथा शपथपूर्वक उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज का खोज करना और उसे प्रस्तुत करना।

(ग) शपथ–पत्रो पर साक्ष्य प्राप्त करना, और

(घ) साक्षी की परीक्षा हेतु कमीशन जारी करना।

उक्त के अतिरिक्त जिला शुल्क नियामक समिति के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी–

(क) धारा–4 की उपधारा(1)के अधीन अनुज्ञात शुल्क वृद्धि से अधिक प्रस्तावित शुल्क वृद्धि से सम्बन्धित प्रबंध समिति से प्राप्त प्रस्तावों पर विनिश्चय करना।

(ख) ऐसे विद्यालय के ऐसे छात्र या संरक्षक अथवा अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन की शिकायत सुनना जिसकी शिकायत इस अधिनियम के अधीन पन्द्रह कार्य दिवसो के भीतर विद्यालय के प्रधान द्वारा अनसुनी रह जाती है:–

(एक) धारा–4 के अधीन समुचित प्राधिकारी के लिए संसूचित किये गये शुल्क से अधिक प्रभारित किये जाने वाले शुल्क को नियत करना।

(दो) प्रभारित किये जा रहे कैपिटेशन शुल्क को नियत करना।

(तीन) आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान शुल्क पुनरीक्षण नियत करना और

(चार) समुचित प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना अनुज्ञात से अधिक शुल्क वृद्धि को नियत करना।

(पॉच) किसी विशिष्ट दुकान से पुस्तकें, जूतें, मोजे व यूनिफार्म आदि क्रय करने की मजबूरी को नियत करना।

(छः) जिला शुल्क नियामक समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना पॉच वर्ष के भीतर विद्यालय के पोशाक में परिवर्तन।

(सात) धारा–7 के अधीन यथा उप बंधित प्रकटीकरण न किये जाने को नियत करना।

(आठ) धारा–3 (तीन) ग में किये गये उपबन्ध के उल्लघन के पश्चात प्रतिभूति धनराशि / अवधान धनराशि का प्रतिदाय न किये जाने को नियत करना।

(नौ) धारा 6 (दो) के अधीन उल्लंघन को नियत करना।

शिकायत प्राप्त कराने की प्रकिया–

शिकायत प्राप्त कराने हेतु सचिवालय के रूप में कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर नजदीक (कलक्ट्रेट सूरजपुर) के पास निर्धारित किया गया है।

कार्यालय की ई–मेल– **feecommitteegbn@gmail.com**

,कार्यालय का दूरभाष नम्बर–0120–2353033

जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा समिति के सदस्यो को अवगत कराया कि शिकायत कर्ता सर्वप्रथम अपनी शिकायत सम्बन्धित स्कूल को करेगा, यदि स्कूल द्वारा शिकायत का निस्तारण नही किया जाता है तो वो 15 दिन के पश्चात अपने प्रार्थना पत्र के साथ स्कूल को प्राप्त कराई गई शिकायत की पावती, रजिस्ट्री की हो तो उसकी रसीद तथा ई–मेल किया हो तो मेल का प्रिंट आउट के साथ सचिव / जिला विद्यालय निरीक्षक,(शुल्क नियामक समिति) गौतमबुद्धनगर के कार्यालय में प्राप्त कराई जायेंगी। तत्पश्चात जिला विद्यालय निरीक्षक सम्बन्धित स्कूल से अपना पक्ष 15 दिन के भीतर आठ प्रतियों में प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित करेगा। यदि 15 दिन में विद्यालय द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया जाता है तो यथावत् जिला विद्यालय निरीक्षक प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। समिति आवश्यकता पडने पर दोनो पक्षो की सुनवाई भी कर सकती है।

समिति की सदस्या श्रीमती कामिनी भसीन, प्रधानाचार्या, दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा द्वारा समिति के समक्ष अपना मत रखा कि शुल्क की गणना कैसे की जायेंगी, जिस पर उनको पूर्व में शासन द्वारा जारी पत्र में शुल्क की गणना के सम्बंध में अवगत कराया गया, परन्तु प्रधानाचार्य द्वारा अवगत कराया कि स्कूलो द्वारा गणना करने में कठिनाईयां आयेगी, इसका कोई सरल फार्मूला बनाया जायं। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिये गये कि शासन द्वारा निर्गत शुल्क गणना पत्र पर मुख्य कोषाधिकारी एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ एक बार पुनः परामर्श करते हुए सरल तरीके से प्रस्तुत किया जायं, तथा उसे सभी स्कूलो को उदाहरण के साथ उपलब्ध कराया जायं।

उक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा निम्न निर्देश दिये गये–

1–शासन को पत्र भेजकर शुल्क नियमो की विस्तृत जानकारी मॉगी जायेंगी।

2–जनपद की वेबसाइड पर जनपदीय शुल्क नियामक समिति से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जायं।

3–समिति के अभिलेखो की व्यवस्था/रख रखाव की व्यवस्था के लिए दो ऑपरेटरो की व्यवस्था की जायं।

4–शिकायतो का वर्गीकरण करते हुए उसके आधार पर मोहर बनवाई जायं।

5–शिकायतो का एजेण्डा पहले से बनाकर उसकी प्रतियों को समिति के समस्त सदस्यों को उपलब्ध कराया जायं।

6–यह भी प्रचारित व प्रसारित किया जायं कि शिकायत कर्ता अपनी शिकायत सदस्य/सचिव, (शुल्क नियामक समिति) कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर के नाम से हार्ड कापी या ई–मेल पर ही भेजे।,

7–शीघ्र ही समिति के साथ सभी विद्यालयों के प्रबन्धन की एक बैठक कराई जाय तथा बैठक में अभिभावक शिक्षक संघ के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे।

(प्रवीण कुमार उपाध्याय)
जिला विद्यालय निरीक्षक
गौतमबुद्धनगर।

पृ0सं0: 6011-15 /शुल्क अधिनियम–2018/ दिनांक 11-10-18

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग–7, लखनऊ।
2. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
3. समिति में नामित सभी सदस्य।
4. जिला सूचना अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उक्त कार्यवृत्त को जिले के समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु प्रेषित।
5. समस्त प्रधानाचार्य/प्रोपराइटर, सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0/वित्त विहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय यू0पी0 बोर्ड, गौतमबुद्धनगर।

जिला विद्यालय निरीक्षक
गौतमबुद्धनगर।